संख्या :टीबीडी (ए) 4–3/2019
हिमाचल प्रदेश सरकार,
जनजातीय विकास विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

1 मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश।
2 वि0 नि0 स0 माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
3 व0 नि0 स0 माननीय जन जातीय विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश।
4 प्रशासनिक सचिव (वित/उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा/लोक निर्माण/कृषि/स्वास्थ्य /आयुर्वेद/राजस्व/पर्यटन/गृह/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/खाद्य एवं आपूर्ति/वन/विद्युत/ पशुपालन/ भाषा एवं संस्कृति/उद्यान/युवा सेवायें एवं खेल/योजना/हिम ऊर्जा/ ग्रमीण विकास/कार्मिक/श्रम एवं रोजगार/ सामान्य प्रशासन/ शहरी विकास/ सूचना एव प्रोद्यौगिकी/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ हि0प्र0।
5. विभागाध्यक्ष (वित/उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा/लोक निर्माण/कृषि/ स्वास्थ्य/ आयुर्वेदा /राजस्व/पर्यटन/गृह/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/खाद्य एवं आपूर्ति/वन/विद्युत/ पशुपालन/ भाषा एवं संस्कृति/उद्यान/युवा सेवायें एवं खेल/योजना/हिम ऊर्जा/ग्रमीण विकास/कार्मिक)/श्रम एवं रोजगार/सामसन्य प्रशासन/ शहरी विकास/सूचना एव प्रोद्यौगिकी/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हि0प्र0।
6.. मुख्य महा प्रबन्धक, दूरसंचार, हि0प्र0,शिमला–9
7. मुख्य अभियन्ता, दीपक प्रोजैक्ट मिन्टो कोर्ट, शिमला–5
8. प्रबन्ध निदेशक, वन निगम/पर्यटन विकास निगम, पथ परिवहन निगम, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला।
9. कार्यकारी निदेशक, विद्युत बोर्ड लि0, हि0प्र0, शिमला–5।
10. उपायुक्त, बिलासपुर, उना, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लु, मण्डी, शिमला, सिरमौर हि0प्र0।
11. आयुक्त जन जातीय विकास विभाग, शिमला–2

दिनांक शिमला–2 , 07 दिसम्बर, 2021

विषयः गुज्जर कल्याण बोर्ड **की 21वीं बैठक हेतु कार्यसूची।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2021 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि गुज्जर कल्याण बोर्ड **की 21वीं** बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 को दोपहर 12.00 से 01.00 बजे तक माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम धर्मशाला, जिला कांगडा मे निश्चित हुई है। अतः आप से अनुरोध है कि आप इस बैठक में भाग लेने की कृपा करें । कार्यसुची की प्रति आपको पहले ही इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2021 को भेंजी जा चुकी हे। आप इसकी प्रति विभाग की **official website:himachal.nic.in/tribal** पर पुनः डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि आप के विभाग के पास कार्यसुची के बारे में नवीनतम सूचना हो तो बैठक के दौरान अवगत करवाने की कृपा करें।

भवदीय,

विशेष सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश गुज्जर कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की मद्दों का विभागबार ब्यौरा।

क्र0सं0	विभाग का नाम	मद्दें
1	लोक निर्माण	8,31,32,37,
2	वन	3
3	स्वास्थ्य	18,30,
4	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	14,15,19,31,
5	प्रारम्भिक शिक्षा	6,26,
6	उच्च शिक्षा	7,26,33,35,
7	पशुपालन	1,38,
8	विद्युत	34
9	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	11
10	ग्रामीण विकास	19,24,28,
11	युवा सेवाएं एवं खेल	6
12	उपायुक्त कांगड़ा	2,31,
13	उपायुक्त चम्बा	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,39
14	जन जातीय विकास	3,21,27,
15	शहरी विकास	36
16	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	20
17	कार्मिक	22
18	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर	26
19	उपायुक्त ऊना	28
20	निर्वाचन	29
21	उपायुक्त बिलासपुर	32,34,36,37,38,

गुज्जर कल्याण वोर्ड की 21वीं बैठक की कार्यसूची मद्दें

1. **गुज्जर समुदाय के लोगों को अच्छी नस्ल के पशुओ की खरीदारी पर सबसिडी उपलब्ध करवाने बारे।**

गुज्जर समुदाय के लोगों का अपना व्यवसाय मवेशी पालन है अर्थात अन्य कार्य कृषि इत्यादि के साथ–साथ दुग्ध धारी पशुओं को पालते हैं। इनके लिए अच्छी नस्ल की गाय, भैंस इत्यादि सब्सिडी पर उपलब्ध करवायें ताकि व्यवसाय को और बढ़ावा मिल सके और कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अच्छी नस्ल न होने के कारण अधिक पशु पालते हैं लेकिन दुग्ध उत्पादन कम होता है।

सुरेश कुमार, डरोह, पालमपुर, कांगड़ा

विभागः–पशुपालन

विभागीय उत्तरः–

पशुपालनः–अच्छी नस्ल के पशु खरीदने पर भारत सरकार द्धारा प्रायोजित डेयरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के क्रय करने पर नाबार्ड द्वारा 33.33 प्रतिशत अनुदान SC/ST/OBC एवं General के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। डेयरी उधमी विकास योजना के लाभार्थियों को देसी गाय खरीदने पर 20 प्रतिशत तथा अन्य नस्लों की गाय खरीदने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान मु0 10 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

2. **गुज्जर समुदाय के लोगों के लिए मंच/भवन का निर्माण करने बारे।**

गांव में जाकर जब गुज्जर समुदाय के लोगों बर्जुगों से बातचीत करते हैं तो यही बात सामने आती है कि गुज्जर समुदाय के लोगों को एकत्रित होने के लिए एक मंच एक भवन का निर्माण हो । हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) या किसी भी स्थान पर भवन निर्माण हो जहां समय–समय पर गुज्जर समुदाय के लोगों को एकत्र करके उन्हें योजनाओं, पशुओं की बीमारी, बीमा, नये बीज, खाद दुग्ध उत्पादन और उन्हें अपने लिए जागरूक किया जा सके।

सुरेश कुमार, डरोह, पालमपुर, कांगड़ा

विभागः– उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त कांगड़ाः– जिला राजस्व अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई। उनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुज्जर समुदाय के लोगों को प्रदेश पट्टा नियम 2013 के अन्तर्गत बोर्ड/निगमों को भूमि लीज पर दी जाती है परन्तु गुज्जर कल्याण बोर्ड द्वारा मंच/भवन निर्माण के लिये पट्टा पर भूमि लेने हेतु कोई भी आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। यदि गुज्जर कल्याण बोर्ड भवन निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के अन्तर्गत भूमि लीज पर लेना चाहता है तो वह आवेदन पत्र इस कार्यालय में दे सकता है। इसी मद बारे सूचना जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने भी ली गई। योजना अधिकारी ने सूचित किया है उपमण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर को लिखा गया है कि आप माननीय सदस्य गुज्जर कल्याण बोर्ड के साथ संपर्क कर भवन हेतु भूमि के चयन व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव प्राकलंन इस कार्यालय में मंगवाया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

3. वन अधिकार नियम 2006, को हिमाचल प्रदेश में लागू करने बारे।

वन अधिकार नियम 2006, को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए ताकि जितने भी भूमिहीन गुज्जर समुदाय से सम्बंधित हैं सभी लोग एक जगह बस सकें तथा गुज्जर समुदाय का घूम फिर कर जीवन बसर करना समाप्त हो सके।वन अधिकार अधिनियम 2006, को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए ताकि सभी वनों से सम्बंधित सभी को उनका हक मिल सके, तथा इसकी जो शर्तें है उनका सरलीकरण किया जाए, ताकि आसानी से सभी आवेदन कर सकें।

ईसा, गांव दुर्घेड़,दाड़गी,चम्बा
हाशमदीन बाग बकाणी, चम्बा

विभागः–वन/जन जातीय विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

जन जातीय विकासः–यद्यपि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन बारे जन जातीय विकास विभाग द्वारा UNDP के परामर्श से वन अधिकार अधिनियम की प्रशिक्षण सामग्री (प्रशिक्षण मैनुअल, पोस्टर आदि हिन्दी में) प्रकाशित की गई है जो पंचायती राज विभाग को पंचायत स्तर पर वितरित करने हेतु प्रदान कर दी गई है तथा जिसे विभागीय वैबसाईट http://himachalservices.nic.in/tribal/en-IN/forest-rights-act.html पर भी डाल दिया गया है। प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न पंचायत चुनावों के दृष्टिगत जिला/उपमण्डल स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है । अब तक जिला किन्नौर, शिमला, बिलासपुर,

मण्डी और कुल्लु जिला में 5 जिला स्तरीय एवं 35 उपमण्डल स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 17503 वन अधिकार समितियों का गठन किया जा चुका है।

प्रत्येक जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा ही उपयुक्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है तथा उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जो कि वन अधिकारों को मान्यता एवं निहित करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी हैं ।

उपायुक्त चम्बाः– वन अधिकार नियम 2006 हिमाचल प्रदेश में जन जाति एवं गैर जन जातीय क्षेत्रों में लागू हो चुका है जिसकी समीक्षा सुचारू रूप से हो रही है। इस प्रसंग में समय समय पर वन अधिकार नियम की जानकारी सूचना सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता रहा है परिणाम स्वरूप मासिक प्रगति रिपोर्ट उप निदेशक जन जातीय विकास विभाग को भी भेजी जा रही है। इस जिला में 1085 वन अधिकार कमेटियों का गठन हो चुका है। जिन मुहालों में अभी तक वन अधिकार नियम लागू नहीं हुए है, यदि उक्त समुदाय के लोग अपने व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार नियम के प्रावधानों के अनुसार वन अधिकार कमेटी के समक्ष दावा प्रस्तुत करते है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

- **वन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

4. गांव कलेरा में एक जनाजाघर/दुर्घेड में पुली/सरडाह में कब्रिस्तान की चार दिवारी करने बारे।

कब्रिस्तान स्थान कलेरा में एक जनाजाघर बनाया जाए तथा क्वर स्थान के चारों ओर बॉडरी बाल लगाई जाए। दुर्घेड़ खडड् पर चौकी नाम स्थान पर पुली बनाई जाए ताकि बरसात में पानी का वहाव अधिक होने से लोग घास इत्यादि लाने से वांचित न रह सके।

ग्राम पंचायत पल्यूर के गांव वेला (सरडाह) में कब्रिस्थान बौंडरी वाल का कार्य करवाया जाना उचित है। क्योंकि बौंडरी वाल न होने के कारण अवारा पशु व जंगली जानवर गन्दगी फैलाते हैं। कब्रिस्थान वोंडरी बाल का कार्य करवाया जाना उचित है। इस कार्य की अनुमानित राशि 700000/–है।

ईसा,गांव दुर्घेड़,दाड़गी,चम्बा
हसनदीन,कैहलाल,पलयूर,चम्बा
विभागः– उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः– खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा ने प्राक्कलन तैयार किया जा कर उनके कार्यालय पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–08–2019 को स्वीकृति हेतू उपायुक्त

कार्यालय को प्रेषित किया गया था। परीक्षण के बाद यह मामला जिला योजना अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना गुज्जर बोर्ड 2019–20 31785–86 दिनांक 03–09–2019 द्वारा परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा जिला चम्बा को सम्बन्धित कार्य को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियावित्त करने हेतु आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र संख्या डी0आर0डी0ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वा वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

5. ग्राम पंचायत पल्यूर के गांव टिपरा में सामुदायिक भवन बनाने बारे।

ग्राम पंचायत प्लयूर के गांव टिपरा में गुज्जर सामुदायिक भवन बनाया जाना उचित है क्योंकि गुज्जर समुदाय के पास विवाह शादी हेतु उचित स्थान नहीं है। लोग अपने बच्चों की शादी खुले आसमान के नीचे करवाते हैं अतः गांव टिपरा में गुज्जर सामुदायिक भवन बनवाया जाना उचित है। इस कार्य की अनुमानित लागत राशि–900000/–रूपये है।

हसनदीन, कैहलाला, पलयूर, चम्बा
विभागः–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा ने प्राक्कलन तैयार कर पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–08–2019 द्वारा स्वीकृति हेतू उपायुक्त के कार्यालय को प्रेषित किया गया था परीक्षण उपरान्त यह मामला जिला योजना अधिकारी ने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना (गुज्जर बोर्ड) 2019–20 31785–56 दिनांक 03–09–2019 द्वारा परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा जिला चम्बा को सम्बन्धित कार्य को विकासात्मक कार्यों से मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित कार्यान्वित करने हेतु आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र संख्याः डी0 आर0 डी0 ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अर्न्तगत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

6. राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव मुसवाडी में खेल का मैदान बनाने बारे।

राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव मुसवाडी एवं ग्राम पंचायत पल्यूर में खेल का मैदान बनाया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि स्कूल के बच्चों को खेलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अतः यहां पर खेल का ग्राउंड बनवाया जाए।

हसनदीन, कैहलाला प्लयूर, चम्बा
विभागः–प्रारम्भिक शिक्षा/युवा सेवाएं एवं खेल/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

प्रारम्भिक शिक्षाः–उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा चम्बा जिला चम्बा द्वारा सूचित किया गया है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव मुसवाड़ी ग्राम पंचायत पल्यूर के नाम से कोई पाठशाला नहीं है जबकि यहां मदानी अल्पसंख्यक पब्लिक स्कूल मुसवाड़ी कक्षा एक से पांचवी तक पढ़ने वाले 40 छात्रों के नाम पर मदरसा चल रहा है, जहां पहले ही खेल का मैदान बना है जिसकी पुष्टि उक्त कार्यालय द्वारा की गयी है।

युवा सेवाएं एवं खेलः– राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव मुसवाडी में, जहां पर खेल मैदान का निर्माण किया जाना है, का निरीक्षण करने उपरान्त भूमि की उपलब्धता है या नहीं, यदि उपलब्ध है, तो समबन्धित भूमि का पर्चा ततीमा, आंकलन/प्राक्कलन सहित खेल मैदान का पूर्ण प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ताकि इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की जा सके।

उपायुक्त चम्बाः– अल्पसंख्यक पब्लिक स्कूल मुसबाड़ी का दिनांक 16–7–19 को दौरा किय गया खेल मैदान निर्माण हेतू दिखाये गये स्थल को उपयुक्त पाते हुए निर्माण कार्य प्रस्ताव भूमि के राजस्व दस्तावेज तथा प्राक्कलन दो दिन के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश मौके पर उपायुक्त कार्यालय पत्र संख्या सी0बी0ए0/वाई0एस0एस0/खेल मैदान/2019–20–7156–57 दिनांक 17–07–2019 के माध्यम से दे दिये गये हैं।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

7. संघणी में गुज्जरों के बच्चों के लिए तालीम मदरसा 10+2स्कूल खोलने बारे।
संघणी में गुज्जरों के बच्चों के लिए तालीम मदरसा 10+2 स्कूल खोलने की कृपा करें।

ऐमना बेगम, संघणी, सलूणी, चम्बा
विभागः– उच्च शिक्षा, उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उच्च शिक्षाः–इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि वर्तमान में संघणी में पहले से ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संचालित है जिसमें कक्षा छठी से कक्षा 12वीं तक 194 वच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसमें से 82 बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय तथा 17 विद्यार्थी गुज्जर समुदाय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उपायुक्त चम्बाः—इस समय राजकीय उच्च शिक्षा संघणी में सभी समुदाय के कुल 194 छात्र है जिसमें से 17 छात्र गुज्जर समुदाय से सम्बन्ध रखते है। इस स्कूल की परिधि में एक राजकीय माध्यमिक स्कूल प्रियूगंल का भवन भी है, परन्तु उसमें अल्पसंख्यक व गुज्जर समुदाय का काई भी छात्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

8. 10 किलो मीटर जीप एवल रोड़ बनाने बारे।

संघणी से फाटीधार तक 10 कि0मी0 जीप एवल रोड़ बनाने की कृपा करें।

ऐमना बेगम,संघणी,सलूणी,चम्बा

विभागः—लोक निर्माण/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः—

लोक निर्माणः—संघणी से फाटीधार तक रोड़ बनाने बारे बर्तमान में किसी भी योजना के अंतर्गत स्वीकृति व बजट प्रावधान नहीं है। करवाल क्षेत्र में गुज्जर समुदाय के लगभग आठ कोठे है। गुज्जर जोकि घुमन्तु जनजाति के लोग होते हैं जो केवल गर्मियों में यहां रहते हैं और सर्दियां शुरू होते ही पंजाव चले जाते है। उपरोक्त प्रस्तावित सड़क की लम्बाई लगभग 10.000 कि0मी0 बनती है जोकि बाथरी सुण्डला लंगेरा जम्मू एवं कश्मीर सीमा सड़क के संघणी नामक स्थान से आर0डी0 71/825 में जोड़ा जा सकता है जिसमें लगभग 1.500 कि0 मी0 में निजी भूमि लगभग 4.000 कि0 मी0 में वन भूमि व लगभग 4. 500 कि0मी0 में वन अभ्यारण्य क्षेत्र है। उपरोक्त प्रस्तावित सड़क का निर्माण किसी योजना में बनाने हेतु स्वीकृति नहीं है तथा उचित बजट प्रावधान व निजी तथा वन भूमि के हस्तांतरण के उपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त चम्बाः—अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मण्डल सलूणी के अनुसार सघणी से फाटीधार सड़क किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुई है। इस सड़क के निर्माण में जो जमीन आयेगी उसकी स्थिति बारे विभाग को अभी कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 3380 दिनांक 20—09—2019 द्वारा उप मण्डल अधिकारी (ना0) सलूणी को लिखा गया है कि सड़क निर्माण में आने वाली निजी व सरकारी भूमि की छानबीन करके सम्बन्धित उक्त विभाग को दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाये ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

9. ईदगाह प्लोट व कब्रिस्तान में बाउंडरी वाल लगवाने बारे। गांव छमेरी सेल में जनाजा शेड निर्माण बारे।

ग्राम पंचायत बरोर में मुस्लिम आबादी अधिक है और ईद के पवित्र त्यौहार के मौके पर ईदगाह न होने के कारण यहां के लोगों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ईदगाह के निर्माण हेतु 9,00,000/– रूपये तक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। गांव छामेरी सेल में मुस्लिम समुदाय का बड़ा कब्रिस्तान है और यहां जब भी किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है आपसे निवेदन है कि छामेरी सेल गांव में जनाजा शैड के निर्माण के लिए 8,00,000 रूपये तक का अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें।

अब्दुला,छमैरी,बरौर,चम्बा
विभागः–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः– खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा ने प्राक्कलन तैयार करके कार्यालय पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–08–2019 द्वारा को स्वीकृति हेतू अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित किया गया था बाद में परीक्षण कर यह मामला जिला योजना अधिकारी ने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना (गुज्जर कल्याण बोर्ड)2019–20 31785–86 दिनांक 30–09–2019 द्वारा परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा, जिला चम्बा को सम्बन्धित कार्यों को विकासात्मक कार्यों में मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने हेतु आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र संख्या डी0आर0डी0ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

10. पल्यूर के गांव चौरीनाला में पुली का निर्माण करने बारे।

ग्राम पंचायत पल्यूर के गांव चौरीनाला में पुली का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है क्योंकि पिछले साल बादल फटने से बहां पर जो पुली बनाई गई थी। वह पुली बाढ़ में वह गई है। अतःबरसात के मौसम में पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं पंहुच पाते हैं और स्कूल के बच्चों को को दो महीने के लिए घर में ही बैठना पड़ता है। अतः गांव चौरी ग्राम पंचायत पल्यूर में पुली का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। इस पुली के निर्माण कार्य पर 7,00,000/–रूपये का खर्च आने का अनुमान है।

रूसतम,चियूंली,पल्यूर,चम्बा
विभागः–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः– खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा ने प्राक्कलन तैयार करके पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–08–2019 को द्वारा स्वीकृति हेतू उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया था बाद मेंपरिक्षण यह कर मामला जिला योजना अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना (गुज्जर बोर्ड) 2019–20 31785–86 दिनांक 03–09–2019 परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा, जिला चम्बा को सम्बन्धित कार्यों को विकासात्मक कार्यों मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अंतर्गत अभिसरण सहित क्रियाविन्त करने हेतू आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र संख्या डी0आर0डी0ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

11.ग्राम पंचायत पल्यूर के गांव कैला कुरैणा में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाने बारे।

ग्राम पंचायत पल्यूर के गांव कैला कुरैणा में आंगनबाड़ी भवन का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है क्योंकि गांव केला कुरैणा में आज तक आंगनबाड़ी भवन नहीं है। अतः यहां पर आंगनबाड़ी भवन बनाया जाना अति आवश्यक है जिस पर 7,00,000/– लाख रूपये खर्च आने का अनुमान है।

रूसतम,चियूंली,पल्यूर चम्बा
विभागः–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः–गांव केला कुरैण में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण से अभी आंगनवाड़ी भवन का निर्माण नहीं किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी चम्बा द्वारा उक्त गांव के पंचायत प्रधान/वार्ड सदस्य से भूमि का शीघ्र चयन करने का अनुरोध किया गया है। अतः जैसे ही भूमि का चयन करके विभाग के नाम स्थानातरित होती है मामला स्वीकृति हेतु सरकार को भेज दिया जाएगा।

उपायुक्त चम्बाः–ग्राम पंचायत प्लयूर के गांव कैला कुरैणा आंगनबाड़ी केन्द्र कुरैणा के अन्तर्गत आते हैं इस आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन बनाने हेतू जमीन अभी तक विभाग के नाम पर नहीं है वाल विकास परियोजना अधिकारी चम्बा को भवन निर्माण हेतू चयन करने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी अनुपालना में बाल विकास परियोजना अधिकारी चम्बा ने सम्बन्धित वृत पर्यवेक्षक को आंगनबाड़ी केन्द्र कुरैणा के लिये भूमि चयन व विभाग के नाम करवाने हेतू कार्यवाही करने बारे निर्देश दिये है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार चम्बा को भी इस मद बारे शीघ्र अनुपालना हेतु अलग से लिखा गया है कि वह राजस्व ईकाई के

माध्यम से सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधियों से मिल कर उचित स्थान पर सरकारी भूमि का चयन करके राजस्व दस्तावेज उपलब्ध करवायें।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

12. गांव गलोथा(सेरी) ग्राम पंचायत पल्यूर में सामूदायिक भवन बनाने बारे।

गुज्जर सामुदायिक भवन गांव गलोथा(सेरी) ग्राम पंचायत पल्यूर में बनवाया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे गुज्जर समुदाय के लोग बहुत गरीब है। उनके पास शादी विवाह हेतू उचित स्थान नहीं होता है और लोग खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। अतः यहां पर गुज्जर सामुदायिक भवन बनाया जाना बहुत जरूरी है इस भवन के बनाए जाने से लगभग 200 परिवारों को फायदा हो सकता है। इस भवन पर 7,00,000/– रूपये खर्च आने का अनुमान है।

रूसतम, चियूंली, पल्यूर चम्बा
विभागः–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः–खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा द्वारा प्राक्कलन तैयार कर पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–8–2019 को स्वीकृति हेतू उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया था बाद में परीक्षण कर यह मामला जिला योजना अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना (गुज्जर बोर्ड) 2019–20 31785–86 दिनांक 03–09–2019 द्वारा परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा को सम्बन्धित कार्यों को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियाविन्त करने हेतू आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र संख्या डी0 आर0 डी0 ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ने खण्ड विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वा वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियान्वित करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

13. ग्राम पंचायत सिलाघ्राट गंडेरा में गुज्जर सामुदायिक भवन बनाने बारे। ग्राम पंचायत पौथा के गांव वगोड़ी, गांव वणी,गांव घरेड़ व गांव कटल में कब्रिस्थान के चारों और बौडरी वाल एवं प्रोटैक्शन बाल लगाने बारे।

ग्राम पंचायत सिलाघ्राट के गांव गंडेरा में गुज्जर सामुदायिक भवन बनवाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस गांव में गुज्जर समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं शादी विवाह एवं निजी कार्यक्रम करवाने हेतु मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस सामुदायिक भवन पर लगभग 8,00,000 रूपये खर्च आने का अनुमान है। ग्राम पंचायत पौथा के गांव वगोड़ी,गांव वणी,गांव घरेड़ व गांव कटल में कब्रिस्थान के चारों और बौडरी वाल एवं प्रोटैक्शन वर्क का काम करवाया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि जंगली जानवर व आवारा पशु इत्यादि रात

को कब्रिस्तान में जाकर गन्दगी फैलाते व नुकसान करते हैं। अतः महोदय से गुजारिश है कि बौड्री वाल व प्रोटैक्शन वर्क लगवाने की कृपा करें। इन कार्यों की अनुमानित राशि लगभग 10,0000/– लाख रूपये है।

नूरमुहम्मद,सिलाघ्राट चम्बा
कासमदीन, घरेड़, साहो, चम्बा
विभागः–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः– खण्ड विकास अधिकारी चम्बा द्वारा प्राक्कलन तैयार कर पत्र संख्या 7187 दिनांक 22–8–2019 को स्वीकृति हेतू अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित किय गया था बाद में परीक्षण कर यह मामला जिला योजना अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या चम्बा योजना (गुज्जर बोर्ड) 2019–20 31785–86 दिनांक 03–09–2019 द्वारा परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा को सम्बन्धित कार्यों को मनरेगा तथा 14वां वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियावित्त करने हेतू आग्रह किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चम्बा के पत्र पत्र संख्या डी0 आर0 डी0 ए0 चम्बा गुज्जर कल्याण बोर्ड 3318–19 दिनांक 12–09–2019 उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ने खण्ड विकास खण्ड चम्बा को विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वा वितायोग के अन्तर्गत अभिसरण सहित क्रियानिवत करने के लिये आग्रह किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा**

14. ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के विभिन्न गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने बारे।

ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के गांव (कियाड़, रोशनू, रिपाणी, मैलैठी, झूडी, डूगा) आदि गांवों में पीने की पानी की बहुत समस्या है जवकि पीने योग्य पानी अथवा मवेशियों को पिलाने हेतु पानी बहुत ही दूर से लाना पड़ता है । अतः जनाव से विनम्र प्रार्थना है कि इन गावों के लिए पाईप लाईन बिछाने व स्टोरेज टैंक बनवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

नूरमुहम्मद, सिलाघ्राट चम्बा
विभागः–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः–ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के छोटे–छोटे गांव कियाड़, रोशनू, रिपाणी, मैलैठी, झूड़ी जिनमें लगभग 170 की जनसंख्या है इन गांवों को केड़ा नाला स्त्रोत से पेयजल योजना बंजाह के तहत पीने का पानी मुहैय्या करवाया जाता है। परन्तु गर्मियों में स्त्रोत पर पानी की कमी के कारण इन गांवों में पानी की समस्या के मध्यनजर अब इन गांवों को अलग से अतिरिक्त स्त्रोत से पानी उपलब्ध करवाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया गया है तथा इसके अनुसार लगभग 300 मीटर 1 इन्च व्यास की मेन लाईन बिछाने एवं भण्डारण टैंक बनने व उपरोक्त गांवों को लगभग 3,500 मीटर वितरण पाईपें बिछाने की

आवश्यकता है जिसके लिये लगभग 10.00 लाख रूपये की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिये चालू वित वर्ष में कोई बजट प्रावधान नहीं है। अतः बजट प्रावधान होने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त चम्बाः—ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के छोटे छोटे गाँव कियाड, रोशनू, रियाणी, मैलेठी, झूडी, डुगा जिसमें लगभग 170 की जनसंख्या है इन गाँव को केडा नाला स्त्रोत से पेयजल योजना बंजाह के तहत पीने का पानी मुहैया करवाया जाता था परन्तु गर्मियों में स्त्रोत पर पानी की कमी के कारण इन गाँव में पानी की समस्या के मध्यनजर अब इन गाँव को अलग से अतिरिक्त स्त्रोत से पानी उपलब्ध करवाने हेतु सर्वेक्षण कार्य अमल में लाया गया तथा सर्वेक्षण अनुसार लगभग 300 मीटर 1 ईंच व्यास की मेन लाईन बिछाने एवं एक भण्डारण टैंक बनाने तथा उपरोक्त गाँव को पानी वितरण लाईने जिसकी लम्बाई लगभग 3.5 किलो मीटर बनती है और इस सारे कार्य को करवाने की अनुमानित राशि लगभग 10.00 लाख रूपये बनती है उपरोक्त प्राकंलन प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

15. गांव बाग में घरों को हो रहे बाढ़ को रोकने बारे।

गांव बाग में बरसात में रावी नदी में भारी बाढ़ आने के कारण घरों के आगे से काफी मात्रा में जमीने बह चुकी है। भूमि कटाव को रोकने हेतु घरों के आगे पानी को रोकने के लिए सुरक्षा दिवारें लगानी अति आवश्यक है ताकि हमारे गांव के घर सुरक्षित रह सकें।

हाशमदीन बाग बकाणी चम्बा

विभागः— सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः—

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः— बरसात में रावी नदी का जल स्तर बढ़ जाने पर एन0एच0पी0 चमेरा चरण—2 परियोजना द्वारा बांध का पानी समय—समय पर भारी मात्रा में छोड़ा जाता है जिसके कारण भूमि कटाव होता है। अतः इस मामले को एन0एच0पी0सी0 चमेरा चरण—2 परियोजना के अधिकारियों से उठाया जाना चाहिये क्योंकि उनके द्वारा ही इस समस्या का निदान संभव है।

उपायुक्त चम्बाः— गाँव बाग में बरसात में रावी नदी में भारी बाढ आने के कारण घरों के आगे से जमीन बहने व भूमि कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दिवारे लगाने की मांग की गई है। इस प्रसंग में यह सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वा० मण्डल चम्बा से उपरोक्त मदद पर विस्तृत सूचना माांगी गई थी जिस पर उन्होने यह सूचित किया कि बरसात में रावी नदी का जल स्तर बढ जाने के कारण एन एच पी सी चमेरा चरण—2 परियोजना द्वारा बांध का पानी समय समय पर भारी मान्ना में छोडा जाता है । इस बारे पत्र संख्या 3504 दिनॉक 27—09—2019 द्वारा महा प्रबन्धक NHPC चमेरा जल विद्युत परियोजना को उचित पग उठाने हेतु मामला प्रेषित किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

16. गांव बाग में कब्रिस्तान के चारों और सुरक्षा दिवार लगाने बारे।

गांव बाग की कब्रिस्तान के चारों और से खुली है। जिसमें पशु इत्यादि प्रवेश करते रहते हैं जिस कारण कब्र वरवाद हो गई है। कब्रिस्तान की चार दिवारी करवाने की कृपा करें।

हाशमदीन बाग बकाणी चम्बा
विभागः—उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः—

उपायुक्त चम्बाः—खंड विकास अधिकारी मैहला के पत्र संख्या 5197 दिनांक 11—09—2019 के स्वीकृति हेतू मद संख्या 15 व 16 का प्राक्कलन तैयार करके उपायुक्त के कार्यालय को मन्जूरी हेतू प्रेषित किया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

17. ग्राम पंचायत किड़ी के गांव सालहूई के नजदीक मेला मैदान बनाने बारे। गांव मलां से खुडी माता मन्दिर घार गतोठ तक रास्ते का निर्माण करने बारे।

ग्राम पंचायत किड़ी के गांव सालहूई के नजदीक मेला मैदान बनाया जाये। क्योंकि यहां पर हर साल नौहन का मेला होता है। और दूरदराज से यहां पर 20,0000 लाख के लगभग श्रदालू आते हैं। इस मन्दिर के चारों ओर 8 पंचायतें हैं यहां पर मेला मैदान बनाना अति आवश्यक है। गांव मलां से खुडी माता मन्दिर घार गतोठ ग्राम पंचायत पौथा तक का रास्ता निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि इस रास्ते से हजारों की संख्या में खुडी माता मन्दिर पर लोग आते व जाते है। अतः लोगों को आने व जाने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसलिए इस रास्ते का बनाया जाना अति आवश्यक है।

याकूव खान, सहालूई, किड़ी, चम्बा
कासमदीन, साहो, पौथा, चम्बा
विभागः—उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः—

उपायुक्त चम्बाः— खण्ड विकास अधिकारी मैहला के कार्यालय पत्र संख्या 4499 दिनांक 27—08—2019 के तहत कनिष्ठ अभियन्ता ने मौका किया । मौका पर खेल मैदान बनाने

बारे कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है गुज्जर कल्याण बोर्ड द्वारा जगह उपलब्ध करवाने पर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित कर दिया जाएगा।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

18. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहो में रेडियो ग्राफर एवं लैव टैक्निशियन के पद भरने बारे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहो में काफी समय से एक्सरे मशीन पड़ी हुई है। उनको चलाने के लिए रेडियो ग्राफर एवं लैव टैक्निशियन के पद तुरन्त भरने के प्रयास किये जाएं। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

याकूव खान,सहालूई,किड़ी,चम्बा
विभागः– स्वास्थ्य विभाग/ उपायुक्त चम्ब

स्वास्थ्यः–Presently the post of Radiographer is not created at CHC Saho District Chamba However, the post of Lab Technician will be filled up very soon.

Reply from Director Health Services is as under:-

SN	Category	San.	IP	Vacant	Remarks
1	Pharmacist	1	0	1	Requsition for filling up of 110 posts of pharmacist have been sent to the HPSSC Hamirpur and other recruiting agencies and 110 posts filled up by the Department through batchwise basis and through concerned recruiting agencies. As and when the list of eligible candidate received the vacant posts will be filled up on priority basis.
2	Radiographer	0	0	0	Post of Radiographer is not sanmctioned at CHC Sahoo however one Radiographer has been working through outsourced basis for running the X-Ray Machine.
3	MLT G-II	1	0	1	Requsition for filling up of

					vacant post of MLT Gr-II has been sent to the Secy. HPSSC hamirpur and other recruiting agencies and also filled up through Batchwise basis. As and whenthe list of eligible candidate recived the vacant posts will be filled up on priority basis.

उपायुक्त चम्बाः– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहू में प्रयोगशाला तकनीशियन का पद स्वीकृत है और कार्यरत है तथा रेडियोग्रफर का पद सृजित नहीं है परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहू में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है तथा सुचारू रूप से चल रही है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

19 गुजरेड़ा बस्ती में सिंचाई कूहल का कार्य पूर्ण करने बारे।

गुजरेड़ा बस्ती में जिस कूहल से सिंचाई होती है उस कूहल में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है स्थानिय पंचायत गोपालपुर द्वारा इस कूहल पर करोड़ों रूपये मनरेगा के अन्तर्गत खर्च कर दिए है। परन्तु जिस नदी से पानी आता है वहां से इसे नहीं जोड़ा जा रहा है व बस्ती के निवासियों को सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। अतः खण्ड विकास अधिकारी भवारना को निर्देश दिए जाएं कि इस कूहल की सुध ली जाये ताकि गांव बासियों को समय पर पानी मिल सके।

कर्मचन्द,गोपालपुर,पालमपुर कांगड़ा

विभागः–ग्रामीण विकास/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तरः–

ग्रामीण विकासः–विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा से ग्राम पंचायत गोपालपुर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में गुजरेड़ा बस्ती में मनरेगा शीर्ष में सिंचाई कूहल का निर्माण कार्य करवाया है परन्तु जिस स्थान पर कूहल का मुख्य स्त्रोत है वह ग्राम पंचायत बड़सर में पड़ता है। अतः ग्राम पंचायत बड़सर को उक्त कूहल का कार्य मनरेगा 14जी थ्पदंदबम के सेल्फ में डालने हेतू निर्देश दिये गये है।

- **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

20 गुजरेड़ा में दुवारा से सस्ते राशन का डिपो खोलने बारे।

गुजरेड़ा बस्ती में उचित मुल्य का एक डिपो खोला गया था जिसमें श्री कर्म चन्द सपुत्र श्री गांधी राम को डिपो होल्डर नियुक्त किया गया था राजनीतिक उदवेश के कारण कुछ ही दिनो पश्चात इस डिपो को विभाग द्धारा बंद कर दिया गया। महोदय गुजरेड़ा बस्ती में दो बार्ड हैं तथा इस बस्ती के साथ गोपालपुर पंचायत के दो और बार्ड लगते है। इस डिपो से लगभग 200 परिवारों को नजदीक से रास्ता सरकारी राशन प्राप्त होता था। जबकि जनता जो इस सुविधा से बंचित कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि दोवारा से इस सस्ते राशन के डिपो को गुजरेड़ा बस्ती में स्थापित करने की कृपा करें।

कर्मचन्द,गोपालपुर,पालमपुर कांगड़ा

विभागः– खाद्य एवं नागरिक आपूति

विभागीय उत्तरः–

खाद्य एवं नागरिक आपूतिः– जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कर्म चन्द पुत्र गांधी राम गांव गुजरेड़ा ग्राम पंचायत गोपालपुर तहसील पालमपुर से उचित मूल्य की दुकान लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14–02–2011 को प्राप्त हुआ था इस बारे सम्बन्धित निरीक्षक से रिपोर्ट करवाकर मामला 09–05–2011 को सम्पन्न हुई सार्वजनिक वितरण कमेटी की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कमेटी द्वारा उक्त मामला कम जनसंख्या व दूरी होने के कारण रद्द कर दिया गया। दिनांक 7–7–2011 को पुनः आवेदन प्राप्त होने पर मामला 19–08–2011 को सम्पन्न हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया जिसमें लिये गये निर्णय अनुसार मामला प्रचार प्रसार करवाकर सरकार को नियमों में छूट प्रदान करने हेतु भेजा गया। प्रचार प्रसार के बाद कोई भी आवेदन प्राप्त न होने पर प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया कि श्री कर्म चन्द जिसने पहले से आवेदन किया हुआ था के पक्ष में उचित मुल्य की दुकान आबंटित कर दी जाये। निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हि0प्र0 शिमला को नियमों में छूट देने हेतु भेजे गये मामले में स्वीकृति निदेशालय के पत्र क्रमांक 22110 दिनांक 17–12–2011 के पक्ष में प्राधिकार न0 1075 जारी किया गया। इस उचित मूल्य की दुकान के साथ 148 राशनकार्ड व 737 जनसंख्या सम्बद्व हुए जो कि कृषि सहकारी सभा अप्पर लाहला द्वारा गोपालपुर में संचालित उचित मुल्य की दुकान से काटे गये। दि कृषि सहकारी सभा अप्पर लाहला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWP No.1198/2012 के अन्तर्गत राशन कार्ड विरोध में नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के विरोध में मामला दर्ज करवाया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री कर्म चन्द के पक्ष में आबंटित उचित मूल्य की दुकान को रद्द करते हुए विभाग को नये सिरे से गुजरेड़ा में उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु चार सप्ताह के भीतर आवेदन आमंत्रित करने के निदेश दिये गये व

आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश प्राप्त हुआ। उपरोक्त निर्देशानुसार जिला नियन्त्रक कार्यालय धर्मशाला द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत व क्षेत्रिय निरीक्षक से गुजरेड़ा में उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने बारे पत्राचार किया गया। दिनांक 5–12–2012 को प्राप्त प्रस्तावना को दिनांक 01–02–2013 को सम्पन्न हुई सार्वजनिक वितरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकान कार्यरत उचित मूल्य की दुकान से 2.1 कि0 मी0 की दूरी पर खोले जानी थी जिसके साथ 148 राशनकार्ड व 737 आबादी सम्बद्व होने थे। सरकार द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप जनसंख्या व दूरी न होने के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पहले रद्द किया गया था व इस बारे वही स्थिति होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमेटी द्वारा सर्वसम्पति से मामला रद्द कर दिया गया।इस प्रकार गुजरेड़ा में नई उचित मूल्य की दुकान खोले जाने का मामला अनसुलझा रहा जबकि गुज्जर कल्याण बोर्ड द्वारा गुजरेड़ा में नई उचित मूल्य की दुकान खोलने बारे बार–बार मांग की जाती रही। इस स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु मांग निदेशालय के पत्र क्रमांक 9524–9528 दिनांक 24–06–2016 के अन्तर्गत जिला नियन्त्रक कार्यालय धर्मशाला को भेजी गई जिस पर विस्तृत रिपोर्ट निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले भवारना से मांगी गई व रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मामला 13–06–2017 को सम्पन्न हुई सार्वजनिक वितरण कमेटी की बैठक के समक्ष रखा गया जिसमें नियमों में छूट के प्रावधान हेतु मामला सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र स018457 दिनांक 23–2–2017 के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला नियन्त्रक धर्मशाला द्वारा प्रचार प्रसार करवाया गया व प्राप्त हुए आवेदन दिनांक 10–07–2018 को सम्पन्न हुई सार्वजनिक वितरण कमेटी की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए गए तकि कमेटी द्वारा मैरिट के आधार पर गुजरेड़ा निवासी श्री नवीश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द के पक्ष उचित मुल्य की दुकान आबंटित करने का निर्णय लिया गया। श्री नवीश कुमार को प्राधिकार जारी करने से पहले ही कृषि सहकारी सभा अप्पर लाहला द्वारा मुकदमा न0 1974/2018 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया। जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगामी किसी कार्यवाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अतः मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

21 केन्द्र सरकार द्वारा बन्द किये गये जन जातीय बजट को पुनः शुरू करने बारे।

केन्द्र सरकार द्वारा जन जातीय बजट बन्द करने की वजह से गुज्जर वस्तीयों के विकास कार्य बन्द हो गये हैं। अतः इस बजट को सरकार दोवारा जारी करें ताकि हमारी वस्तीयों में विकास हो सके।

विशन दास, पडयालग, घुमारवीं,बिलासपुर
विभागः– जन जातीय विकास

विभागीय उत्तरः–

जन जातीय विकासः– जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय समुदायों के लिए, जिनमें गुज्जर भी शामिल है, को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उधान, पशुपालन,मत्स्य अन्य आय सृजन सम्बन्धी योजनाएं तथा लघु निर्माण कार्य इत्यादि गतिविधियों के लिये धन प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की सामान्य राज्य योजना में से गैर जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय बहुल इलाकों में सड़क निर्माण के लिए मु0 4.50 करोड़ रूपये की राशि अलग से चिन्हाकित कर सड़के बनाई जा रही हैं तथा पेयजल योजनाओं के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सामान्य योजना में प्रस्ताव सम्मिलित किये जा रहे है।

इसके अतिरिक्त गैर जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य विकास बजट का 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त बजट आबंटन करने हेतु मामला समय–समय पर वित्त एवं योजना विभाग से उठाया गया है परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में सहमति नहीं हो पाई है।

- **वित्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

22 जन जातीय लोगों का आरक्षण बढ़ाने बारे।

जन जातीय लोगों को हिमाचल में कम आरक्षण मिलता है जो केवल 5 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं वाकि पूरे भारत में 7.5 है। इस आरक्षण को 5 प्रतिशत 7.5 किया जाए।

विशन दास,पडयालग,घुमारवीं,बिलासपुर
विभागः– कार्मिक

विभागीय उत्तरः–

कार्मिकः–वर्तमान में राज्य सरकार के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को तथा श्रेणी–1 व 11 के पदों में 7.5 प्रतिशत तथा श्रेणी–111 व पअ के पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जनजाति को श्रेणी–1 व 11 में दिया जा रहा 7.5 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र सरकार में प्रदान किए जा रहे आरक्षण के बरावर है। श्रेणी–111 व श्रेणी पअ में

नियुक्तियां/भर्तियां स्थानीय एवं श्रेत्रीय उम्मीदवारों से होती है और इन श्रेणियों में भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनकी जनसंख्या प्रतिशतता अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 5.7 प्रतिशत है। अतः प्रचलित प्रावधानों के दृष्टिगत वर्तमान में आरक्षण प्रतिशतता में बृद्वि करना तर्कसंगत नही है।

23 ग्राम पंचायत बकाण में कब्रिस्तान की बॉडरी बाल करने बारे।

ग्राम पंचायत बकाण में कब्रिस्तान की बॉडरी बाल करवाने की कृपा करें।

अली मुहम्मद सपुत्र श्री मूसा, बाग चम्बा
विभाग–उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः–इस सम्बन्ध में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मैहला के पत्र के द्वारा सहायक आयुक्त विकास खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मैहला ने ग्राम पंचायत बकाण में क्षैत्रीय विधायक निधि विकास योजना के तहत विकास कार्य दिनांक 31–08–2020 को पूर्ण कर लिया गया है।

24 कब्रिस्तान मासर में जनाजा घर वनाने बारे।

गांव मासर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। और यही जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हाती है तो जनाजे के लिये जगह न होने के कारण साहू रोड में जनाजा करना पड़ता है। जिस कारण रोड़ में गाड़ियों का जाम लग जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कब्रिस्तान मासर में जनाजा रोड़ के लिए 850000/–आठ लाख पच्चास हजार रूपये की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

अब्दुला, छमैरी,बरौर, चम्बा
विभाग–ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

ग्रामीण विकासः–इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि खण्ड विकास अधिकारी चम्बा द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिए मु0 4,87,000/– रूपये का प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति हेतु उपायुक्त चम्बा को दिनांक 04–07–2020 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपायुक्त चम्बाः–इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या सीबीए–विकास (स0शि0–9(16)–2018–19 दिनांक 04–07–2020 की अनुपालना में जिला योजना अधिकारी ने विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत कार्यों का निपटारा करने बारे परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा जिला चम्बा

को प्रेषित किया गया है। उप निदेशक एंवम परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय पत्र संख्या डी0 आर0 डी0 ए0 चम्बा–(गुज्जर कल्याण बोर्ड) दिनांक 12–09–2019 को खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

25 गांव सिंडू व गांव खंडेरी में नदी के किनारे क्रेट वर्क लगवाने बारे।

सिंडू व गांव खंडेरी जोकि साल नदी व हुल नदी के संगम में आते हैं और हर बार बरसात के मौसम में बाढ़ आने से स्थानीय किसानों की उपजाऊ निजी भूमि का बाढ़ से भारी नुक्सान होता है। अतः आपसे निवेदन है कि इन गांवों में 120 क्रेट लगान के लिए अनुदान राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

अब्दुला,छमैरी,बरौर,चम्बा
विभाग– उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त चम्बाः–इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या 8321 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी चम्बा दिनांक 07.12.2020 प्राकंलन मुवलिग 3,31,000/–(तीन लाख ईक्कतीस हज़ार रुपये) तैयार किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है की अनुपालना में जिला योजना अधिकारी ने विकासात्मक कार्यों को मनरेगा तथा 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत कार्यों का निपटारा करने बारे परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा जिला चम्बा को प्रेषित किया गया है। उप निदेशक एंवम परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय पत्र संख्या डी0 आर0 डी0 ए0 चम्बा (गुज्जर कल्याण बोर्ड) दिनांक 12–09–2019 को खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

26 गुज्जर समुदाय के बच्चों के लिये स्थाई छात्रावास की व्यवस्था करने बारे।

गुज्जर समुदाय एक बहुत ही पिछड़ा हुआ समुदाय है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिये आप गुज्जर समुदाय के बच्चों के लिये स्थाई छात्रावास की व्यवस्था करें जहां पर इनकी जनसंख्या अधिक है ताकि यह बच्चे एक जगह शिक्षा ग्रहण कर सके।

पासूम खान, दहकियाड, चुराह, चम्बा
विभाग–उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर/उपायुक्त चम्बा

उच्च शिक्षाः–इस सन्दर्भ में उप–शिक्षा निदेशक जिला चम्बा द्वारा सम्बन्धित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं से भूमि उपलब्धता सम्बन्धी सूचना मांगी गई है। अतः प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त आगामी आवष्यक कार्यवाही हेतु सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी।

अति0 जिला दण्डाधिकारी विलासपुरः–छात्रावास के निर्माण हेतू मामला विभाग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के साथ उठाया जा रहा है।

उपायुक्त चम्बाः–इस सम्बन्ध में शिक्षा उप निदेशक उच्च/प्रारम्भिक चम्बा जिला, चम्बा के कार्यालय से प्राप्त पत्र द्वारा गुज्जर समुदाय के बच्चों के लिए स्थाई छात्रावास के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चरडा के नाम पर 04–07–10 बीघा भूमि स्वीकार हो चुकी है।

- **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

27 गुज्जर समुदाय को एक सम्मान अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने बारे।

गुज्जर समुदाय विभिन्न जातियों में बटा हुआ है इसलिए सभी गुज्जरों को एक सम्मान अनुसूचित जनजाति का दर्जा जाए।

पासूम खान,दहकियाड,चुराह,चम्बा
विभाग–जन जातीय विकास

विभागीय उत्तरः–जन जातीय विकासः–भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जातियों का उल्लेख ना करते हुए समस्त गुज्जर समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया है।

28 धार गुज्जरां से नडयाल चुक तक पक्का रास्ता व पुली बनाने बारे।

पंचायत त्याई में निर्माण पक्का रास्ता/पुली धार गुज्जरां से नडयाल चुक तक वार्ड न0–5 के लिये लगभग 10 लाख रूपये स्वीकृत करने की कृपा करें। बेहड़ जसवां पुल से लेकर गुज्जर बस्ती चोई बेहड़ कांशी तक पक्के रास्ते का निर्माण किया जाये जिस पर लगभग 10 लाख रूपये लागत आने का अनुमान है।

बशीर मुहम्मद,धार गुज्जरां,अम्ब, ऊना

विभाग–ग्रामीण विकास/ उपायुक्त ऊना

विभागीय उत्तरः–

ग्रामीण विकासः– इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि उपायुक्त ऊना जिला ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार यह कार्य 2020–21 की मनरेगा की शैल्फ मे डाल दिया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

उपायुक्त ऊनाः–खण्ड विकास अधिकारी अम्ब की रिपोर्ट अनुसार यह कार्य 2020–21 की मनरेगा की ौमसि में डाल दिया गया है।

29 हिमाचल प्रदेश में 7.5 बजट के हिसाब से वर्तमान में तीन सीटों को बढ़ाकर पांच करने बारे। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तीन ही विधान सभा जनजातीय हैं किन्नौर, भरमौर और लाहौल स्पिती जबकि 7.5 प्रतिशत के हिसाव से 5.1 प्रतिशत सीटें बनती है उपरोक्त विधान सभाओं में इस वर्ग से सम्बन्धित शायद ही कोई घर या वोटर होगा। अतः कम से कम दो और विधान सभा सीटें प्रदान करवा कर जनजातीय इस वर्ग को न्याय प्रदान करवाया जाये।

भगवान दास, बरोटीवाला, सोलन
विभाग– निर्वाचन

विभागीय उत्तरः–

निर्वाचनः–नये परिसीमन के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य को परिसीमन आयोग,दिल्ली द्वारा अन्तिम रूप दिया जा चुका है। जिसकी अधिसूचना जन साधारण की जानकारी हेतु 10 जनवरी,2007 को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई थी। विधानसभा की सीटों का आबंटन जनसंख्या के आधार पर करने व आरक्षण से सम्बन्धित कार्य परिसीमन आयोग/भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी अवधि दिनांक 31 मई,2008 को समाप्त हो चुकी है। संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य अब वर्ष 2026 में होना सम्भावित है। संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से सम्बन्धित कार्य परिसीमन आयोग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के प्रावधान अनुसार किया जाता है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा**

30 बी0 बी0 एन0 क्षेत्र को ड्रग माफिया से छुटकारा दिलवाने बारे।

प्रदेश विशेषकर बी0 बी0 एन0 क्षेत्र को ड्रग माफिया से छुटकारा दिलवाया जाये क्योंकि इस वर्ग के उप्पर इसका बहुत ही ज्यादा दुश्प्रभाव पड़ रहा है।

भगवान दास, बरोटीवाला, सोलन
विभाग–स्वास्थ्य

- **स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

31 सलिहार गांव को लिंक रोड़ से जोड़ने तथा हैण्ड पम्प लगवाने बारे।

हमारे गांव सलिहार में 40–50 घर हैं गांव के लिए न तो कोई सड़क है और न ही पीने के पानी की कोई सुविधा है। मेरी माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे गांव को लिंक रोड़ से जोड़ने तथा हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करें। ताकि लोगों की वर्षों पुरानी मांगे पूरी हो सकें।

जमालदीन, सलिहार खुन्डियां, कांगड़ा
विभाग–लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्थास्थ्य/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माणः– श्री जमालदीन निवासी सलिहार की मांग के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि देहरियां से समलेतर सड़क वाया काला पानी,मधु कालीधार, कोके, कोई से पटरेली सड़क के निर्माण हेतू नाबार्ड योजना के अन्तर्गत डी0 पी0 आर0 बनाकर वर्ष 2018–19 में स्वीकृति हेतू GGM NABARD को सलाहकार, योजना के पत्र संख्या PLG-FC(F)1-37/15/ RIDF- XXI) (R&B)/ 2015.16 द्वारा दिनांक 29–03–2018 को रूपये 241.53 लाख की भेजी जा चुकी है। डी0पी0आर0 स्वीकृत होने व आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः– सलिहार गांव के लोग जहां पर हैंडपम्प लगवाना चाहते हैं वहां पर भू–विज्ञानी द्वारा भू–सर्वेक्षण किया गया तथा पाया कि यह स्थान हैडपम्प लगाने हेतु उपयुक्त नहीं है। जिसके कारण इस स्थान पर हैडपम्प नहीं लगाया जा सकता। गांव सलिहार को पेयजल योजना बलेडा से सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उपायुक्त कांगड़ाः–(क) इस मद की अनुपालना में जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने सूचित किया है कि उपरोक्त मद बारे अधिशाषी अभियन्ता,लोक निर्माण देहरा, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग देहरा को उचित कार्यवाही अमल में लोने बारे लिखा है जिसकी तहल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे जिला योजना अधिकारी को स्मरण पत्र जारी किया जा चुका है।

(ख) सुलिहार गांव में हैण्ड पम्प लगवाने बारेः–इस मद की अनुपालना में जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने मद पर आगामी कार्रवाई हेतु अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग देहरा को लिखा था। इस संदर्भ में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग देहरा का उत्तर जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मषाला के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उनकी रिपोर्ट अनुसार सलियार गांव के लोग जहां पर हैण्ड पम्प लगवाने चाहते है वहां पर भू–विज्ञानी द्वारा भू–सर्वेक्षण किया गया तथा पाया गया है कि यह स्थान हैण्ड पम्प लगवाने हेतु उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस स्थान हैण्ड पम्प नहीं लगााया जा सकता है।

इसके साथ–साथ यह भी अवगत करवाया जाता है कि उक्त गांव को प्रतिदिन पीने के पानी की सप्लाई पेयजल योजना वलेड़ा से सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

32 मुख्य सड़क से जीत राम आदि के घर तक वनी सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने बारे।

ग्राम पंचायत शाहतलाई मरोतम मुख्य सड़क तक वनी सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने बारे।

ग्राम पंचायत सनीहरा के ग्राम बरोटी बार्ड न0–4 में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की आबादी 99 प्रतिशत है तथा इस गांव में वर्षों पहले लगभग डेढ कि0मी0 सड़क का निर्माण किया गया था जो बरसात के दिनों तथा आम दिनों में भी खस्ता हालात में रहता है क्योंकि यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है जव उपरोक्त गांव के लोगों को शादी समारोह या अन्य विकास कार्या करवाने होते हैं तो वे स्वयं अपना सहयोग देकर ही इसको बनवाते /मुरम्त करवाते हैं। ग्रामीणों की गम्भीर समस्या को देखते हुए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त डेढ कि0मी0 सड़क जो मुख्य सड़क से जीत राम आदि के घरों तक है लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत करके तथा इसे पक्का किया जाना अति आवश्यक है। ताकि बर्षों से पिछड़े लोग भी इसका लाभ उठा सके। महोदय मेरे गांव में लगभग 80 प्रतिशत आबादी जनजातीय (गुज्जर) है जिसके लिये शाहतलाई मरोतन मुख्य सड़क गांव के लिये पंचायत द्वारा सम्पर्क सड़क बनाई गई है जोकि कच्ची है तथा बरसात में हर बार बारिश से खराब हो जाती है जिस बजह से गांव में वाहनों आदि का आना जाना मुश्किल हो जाता है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि इसे लोक निर्माण विभाग के अधीन कर बजट उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

कमलदेव, बरोटी, कलोल, बिलासपुर
लेख राम चौहान,बरोटी,कलोल,बिलासपुर
विभाग–लोक निर्माण/ उपायुक्त बिलासपुर

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माणः– मुख्य सड़क तलाई धनी से जीतराम के घर तक सम्पर्क जीप योग्य सड़क की लम्बाई 1.500 कि0मी0 है। सड़क का निर्माण स्थानीय पंचायत द्वारा किया है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के लिये मई, 2004 में Guideline जारी की गई है, यदि विभिन्न विभागों द्वारा इन ळनपकमसपदम के आधार पर विभाग को हस्तांतरित करते हैं तो विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त विलासपुरः– मुख्य सड़क तलाई से जीत राम के घर तक सम्पर्क सड़क की लम्बाई लगभग 1.500 कि0मी0 है। सड़क का निर्माण स्थानीय पंचायत द्वारा किया गया है। सड़क को विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क को विभागीय मानकों के अनुरूप

बनाने के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है यदि भूमि को निःशुल्क विभाग को उपलब्ध करवाते हैं तथा स्थानीय पंचायत सड़क को इस विभाग को सौपती है तो उसके उपरान्त आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

33 ग्राम पंचायत सनीहरा के बार्ड न0–6 भेड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने बारे।

ग्राम पंचायत सनीहरा के बार्ड न0–6 भेड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान संकाय की कक्षाएं खोली जाएं क्योंकि यह स्कूल अनुसूचित जनजाति एरिया में स्थित है इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 90 प्रतिशत है। इस स्कूल में विज्ञान संकाय न होने के कारण कई छात्र–छात्राएं आर्ट विषय रखने के लिये मजबूर हैं। क्योकि गरीब होने के कारण वे शाहतलाई 15 कि0मी0 जाने में असमर्थ होते हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति होने के साथ –साथ पिछड़ा क्षेत्र कोटधार से सम्बन्ध रखने बाले बच्चों की समस्या को देखते हुए विज्ञान संकाय शुरू किया जाए ताकि यहां के गरीब बच्चे भी इसका लाभ मिल सके।

कमलदेव, बरोटी, कलोल, बिलासपुर
विभाग– उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षाः–राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला में विज्ञान संकाय की कक्षाएं चलाने बारे प्रस्तावना सूचना इस निदेशालय के पत्र संख्या EDN-HE(19)B(5)07/2018 दिनांक 21.01.2020 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

34 गांव बरोटी में विद्युत आपूर्ति की समस्या को दूर करने बारे।

गांव बरोटी में एक विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्म लगाया गया है जिससे लगभग चार गांवों को बिजली की आपूर्ति की गई है मेरे गांव से लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर लगभग 15–20 घर अलग हैं जिनमें प्रायः विजली कम ज्यादा होती रहती है जिससे बिजली से चलने वाले उपकरण बार–बार खराब हो रहे हैं। अतः इन घरों के नजदीक एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिस से लोगों को बार–बार आर्थिक नुक्सान न झेलना पड़े।

लेख राम चौहान,बरोटी,कलोल,बिलासपुर
विभाग–विद्युत/उपायुक्त विलासपुर

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त विलासपुरः–बिजली की एक फेज की लाईन के लिए प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र संख्याः टी/एस न0 231/2019–20 के द्वारा तकनीकि रूप से स्वीकृत किया जा

चुका है और इसका कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा तथा समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

विद्युत विभागः–

हि0 प्र0 स्टे. ई.बो.लि. द्वारा गांव बरोटी में कम वोल्टेज की समस्या के निवारण के लिए 63 के0वी0ए0डी0टी0आर0 लगाने का प्रावधान 0.5 कि0मी0एच0टी0 लाईन तथा 0.250 कि0 मी0 एल0टी0 लाईन के साथ स्वीकृत कर दिया गया है जिसकी अनुमानित राशि 10.520 लाख है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

35 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भेड़ी का नाम तबदील करके स्थानीय शहीद प्रताप सिंह किया जाये।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भेड़ी का नाम तबदील करके स्थानीय शहीद प्रताप सिंह किया जाये। जोकि सभी ओपचारिकताएं पूरी करते हुए सारा मामला प्रधान सचिव शिक्षा को प्रेषित किया जा चुका है। तथा सरकार के विचाराधीन है यह मामला 04–08–2005 से पेंडिंग है जिसके कारण मुख्यमन्त्री सेवा संकलप में पत्र संख्या 88564 में दर्ज मामला प्रधान सचिव शिक्षा ने शिकायत का पुर्नमुल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्चस्तर पर स्वीकृत हेतू प्रेषित कर दिया गया है।

राज कुमार,तलाई झन्डुता,बिलासपुर
विभाग–उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षाः– राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भेड़ी का नाम तबदील करके स्थानीय शहीद प्रताप सिंह के नाम पर करने बारे प्रस्तावना सूचना इस निदेशालय के पत्र सख्याः ई0डी0एन0–एच(6)1(25) 94/2004–05 (नाम) दिनांक 15–09–2006 द्वारा प्रेषित कर दिया गया था अतः मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में प्रस्तुत है कि वर्तमान में सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के नाम शहीदो(रक्षा/अर्धसैनिक बलों एवं विशेष गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर करने बारे मापदंड बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, जैसे ही सरकार द्वारा उक्त मापदंडों/नियमों/दिशार्निदेशों का अनुमोदन किया जाता है,राजकीय बरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भेड़ी का नाम तबदील करके स्थानीय शहीद प्रताप सिंह के नाम पर रखने का मामला प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा, यदि यह पाठशाला अनुमोदित नीति/ दिशानिर्देशों के अनुसार मापदण्डों को पूरा करती है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

36 नगर पंचायत तलाई अध्यक्ष जन जातीय (एसटी) करने बारे।

नगर पंचायत तलाई अध्यक्ष जन जातीय (एसटी) किया जाए जो 1994 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ।

राज कुमार,तलाई झन्डुता,बिलासपुर
विभाग– शहरी विकास/उपायुक्त विलासपुर

विभागीय उत्तरः–

शहरी विकासः–हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (चुनाव) नियम, 2015 की धारा 12 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को पहले ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (चुनाव) नियम,2015 की धारा 12(3) के अन्तर्गत राज्य में नगरपालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है।

उपायुक्त विलासपुरः– यहां जन जातीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 151 व्यक्ति है। पार्षद की सीट जन जातीय वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है। जनसंख्या के आधार पर समय–समय पर विभिन्न वर्गों के लिए अध्यक्ष पद राज्य चुनाव आयोग द्वारा आरक्षित किया जाता है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

37 गांव खरली को सड़क सुविधा से जोड़ने बारे।

गांव खरली की आबादी 90.50 प्रतिशत गुज्जर आबादी है। जिसमें कई सुविधाओं का अभाव है। इस आवादी के लिये सड़क सुविधा का होना बहुत जरूरी है। खरली की अबादी लगभग 450 सदस्य है। अतः इसे सड़क सुविधा से जोड़ा जाये।

सोहन लाल,झन्डुता,बिलासपुर
विभाग– लोक निर्माण/उपायुक्त बिलासपुर

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माणः–धनी से खरली सड़क विभागीय बजट में शामिल है इसकी कुल लम्बाई 9. 345 कि0 मी0 है जिसमें से 1.50 कि0मी0 सड़क बन चुकी है इससे आगे सड़क के सर्वेक्षण में वन भूमि आती है 3.26 हैक्टेयर वन भूमि को इस विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार करके वन विभाग को शीघ्र ही भेज

दिया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980. के प्रावधानो के अनुरूप अनुमति मिलने के उपरान्त सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा।

- **उपायुक्त बिलासपूर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

38 गांव खरली में पशु औषधालय खोलने बारे।

गांव खरली के सभी लोग किसान हैं तथा पशु पालन पेशा है। इस गांव में एक पशु औषधालय की कमी है। पशु बिमार होने पर उपचार का कोई साधन नहीं है। यहां एक पशु औषधालय होना बहुत जरूरी है

सोहन लाल,झन्डुता,बिलासपुर

विभागः– पशुपालन/उपायुक्त बिलासपुर

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त विलासपुरः–इस मद के बारे अवगत करवाया जाता है कि ग्राम पंचायत धनी–पखर में पहले से ही मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत पशु औषधालय धनी (बिलासपुर) के नाम से संचलित है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार एक ही ग्राम पंचायत में एक अन्य पशु औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

- **पशु पालन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

39 नरेलू से करेरू तक रास्ते का निर्माण करने बारे।
बटुण से सेरी तक रास्ते के निर्माण बारे।
बटूण नाला में चैक डैम लगवाने बारे।

नरेलू से करेरू तक रास्ते की स्थिति बहुत ही खराव है जिससे आम जनमानस को आने जाने में बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के कारण इस रास्ते का बहुत नुक्सान हुआ है। अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त रास्ते के निर्माण हेतु (150000) लाख रूपये स्वीकृत करने की कृपा करें।?

बटुण से सेरी तक रास्ते का निर्माण बहुत ही आवश्यक है लोगों को रोज के कार्य निपटाने तथा आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इस रास्ते को बनवाने के लिये धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें। बटूण नाला में चैक डैम का लगवाना अति आवश्यक है क्योंकि भारी बरसात के मौसम में बाढ़ आदि का बहुत ही खतरा रहता है और भारी बरसात से उक्त नाले की जमीन धंस रही है और साथ में लगते बटूण गांव को खतरा हो गया है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें

याकूव, खुन्देल, धरवाला, मैहला, चम्बा
लतीफ, खुन्देल, मैहला, चम्बा
उपायुक्त चम्बा

उपायुक्त चम्बा से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।